

5

प्रेमक,

श्री अशोक मांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सावित्र,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र 2 समुदाय केंद्र,  
प्रगति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 19 नवम्बर, 1993

विषय:- श्रीम. मिश्रीज एम. प्रगति ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट प्रथम बुरादावादा को सी०बी०एस०  
को नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिये जाने के  
सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बहने का निदेश हुआ है कि श्रीम. मिश्रीज  
एम. प्रगति ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट प्रथम बुरादावादा को सी०बी०एस० को नई दिल्ली से सम्बन्धित  
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन  
अपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की संज्ञाहीन सीमाहीन का सम्य. सम्य. पर नवीनीकरण  
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध. प्रगति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित  
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश  
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विभिन्न  
स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की  
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/  
केन्द्रीय शिक्षा परिषद से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की  
सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोशिल फार दि इंडियन  
स्कूल कर्नामिसेट अकादमिसेट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस  
बुरादावादा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने का तिथि के परिषद से  
सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के एक वर्ष शिक्षात्मक कार्यवाहियों को राज्यकीय सहायता प्राप्त  
शिक्षण संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित क्षेत्रमानी तथा अन्य  
महत्तों के सम क्षेत्रमानी तथा अन्य महत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कार्यवाहियों की सेवाओं स्थायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त



अनामकोच उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा  
निश्चित का मान उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रकृत/विधियों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी है कि विद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों को <sup>उक्त</sup> न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम नहीं <sup>दिया</sup> जायेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह साधा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घुब या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामकित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अमोके गांगुली  
उप सचिव।

पुसं० 5471 111/15-7-1993 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक मुरादाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 4- निरीक्षक, अंजल मासिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, डीन गोडोप स्कूल, पुनिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद।

आशा है,

*(Signature)*  
अमोके गांगुली  
उप सचिव।